RTI Matter

Sl No. 254

F.No.43020/213/RTI 2013-CSR.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(CS Division)

N.D.C.C. Building, Jai Singh Road.
dated the 31 December, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Information sought by Shri Pradeep Kumar Soni under RTI Act, 2005 – Regarding.

Please fine enclosed herewith a RTI application No. 213 dated 18.11.2013 (received by the answering CPIO as on 27.12.2013) through Joint Secretary (Judicial) vide their letter no. 24/82/2013-Judl. & PP dated 18.12.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the subject noted above.

2. The information sought by the applicant is not available in CSR-III Section. The RTI application dated 18.11.2013 is therefore transferred to all CPIO of MHA under section 6 (3) of RTI Act.

3. Sh. S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS), is the concerned Appellate Authority.

Yours faithfully

31/12/2013

(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO

To
All CPIO in Ministry of Home Affairs as per list attached.

Copy to :- Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar, Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan – 322201.

2. Shri J.P.Agrawal, Joint Secretary (Judicial) & CPIO, Judicial & Political Pensions Section, N.D.C.C.II Building, New Delhi.

31/12/

(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO

RTI-254/Dir(SS-I)/13
08/1/14

Noted

9701/MHA/13
23/12/13

No.24/82/2013-Judl.&PP

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralay
(Judicial & Political Pensions Section)

*****

4th Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-1.
Dated the 18 December, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Information sought under RTI Act, 2005 by Shri Pradeep Kumar Soni, Rajasthan.

The undersigned is to refer to the RTI application No. 213 dated 18.11.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the above subject and to transfer the same under section 6(3) of RTI Act, 2005 in original, as received, for taking necessary action in the matter as CS Division, MHA is concerned with the subject.

2. It is requested that the applicant may be provided the desired information/document directly under intimation to this Division.

Encl: As above

18/12/13
(J. P. Agrawal)
Joint Secretary (Judicial) & CPIO
Telefax-23438113

To

1. Ministry of Home Affairs, (CS Division), (Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary), 5th Floor, NDCC-II Building, New Delhi.

Copy to:

Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan-322201.

Pl. circulate all CPIO, in MHA, immediately.

27/12/13

SO(CIR-III)

[illegible]

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत [illegible] से प्राप्त आवेदन का अंतरण।

[illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत [illegible] का दिनांक [illegible].2013 का आवेदन [illegible] प्राप्त हुआ है। [illegible] 2013 [illegible] [illegible] अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत [illegible] सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। [illegible]

2. आवेदक ने पोस्टल ऑर्डर संख्या 27536 दिनांक 27.11.2013 [illegible] के माध्यम से 10/- रुपये का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है। ~~[illegible]~~

[illegible]

(के. के. [illegible])

उप सचिव

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

(1) श्री [illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित:

श्री प्रदीप कुमार सोनी

[illegible] नगर [illegible]

[illegible] रोड, [illegible] नगर, जोधपुर सिटी

[illegible] (राजस्थान)

(2) [illegible] नई दिल्ली

[illegible]

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन

दिनांक [illegible]

प्रेषित:- लोक सूचना अधिकारी श्रीमान् सचिव महोदय,केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली भारत-110001

आवेदक का पूरा नाम व पता -- [illegible] संगरपुर सिटी जिला [illegible]

चाही गयी सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] N.D.M., M.J. [illegible]
5. [illegible] नहीं
6. [illegible] C.B.-C.I.D. [illegible]
7. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.I.जाँच करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है अथवा नहीं गरीब इन्सान् का।
8. विधिक सहायता समिति, पुलिस के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के लिए A.C.B.कोर्ट में केस दर्ज करवाने के लिए/A.C.B.थाने में F.I.R दर्ज करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान का।
9. आपके कार्यालय के प्रमुख या इन्चार्ज/सर्विस कहाँ पर दर्शन लाभ किस प्रकार किया जा सकता है
10. विधिक सहायता समिति को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कितने दिन/कितने घंटे बाद पैनल से वकील देती है।
11. विधिक सहायता समिति में समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य बनना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए
12. विधिक सहायता समिति ने अब तक कितने अधिकारियों तथा पुलिस वालों आदमी के खिलाफ पैनल से वकील दिए हैं। सूचना दें।
13. विधिक सहायता समिति को प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये है।
14. विधिक सहायता समिति की मिटिंग में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सूचना दें।
15. किसी गरीब इंसान के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उस गरीब प्रार्थी ने नेशनल ह्यूमन राईट्स कमीशन में शिकायत की हो और कमीशन से उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो क्या आप पैनल से उस प्रार्थी को वकील देंगे। सूचना दें सम्पूर्ण रूप से।
16. आपके कार्यालय के सचिव महोदय ने कितनी संस्थाओं को मिलने के लिए समय दिया है। क्रम वार सूचना दें। एवं संस्थाओं के नाम व पता बतायें।
17. आपने जेल में बन्द मुलजिमों की किस-2 प्रकार की एवं कितनों की सहायता की है। बिन्दुवार सूचना दें।
18. गंगापुरसिटी प्रशासन हमारे कार्यालय/कॉलोनी में गंदा पानी छोड रहे हैं। हमें एवं कॉलोनी वासियों को डेंगू, चिकिनगुनिया के मरीज बनाने के लिए जिसकी शिकायत हमने प्रशासन [illegible] पर आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए।
19. आपने किस किस संस्थाओं को विशेष अधिकार दे रखे हैं नाम व पते के साथ अधिकारों का विवरण बताएँ।
20. संस्था C.B.I. की मदद करना चाहती हो तो संस्था को क्या करना चाहिए।
21. गंगापुर सिटी में A.C.B. थाना खुलवाना है तो संस्था को क्या क्या करना चाहिए
22. गंगापुर सिटी को जिला बनवाना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
23. गंगापुर सिटी के पानी में फ्लोराईड बहुत अधिक है, तो संस्था को क्या करना चाहिए।
24. संस्था किसी अधिकारी के द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जाँच करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

लगातार ...2 पर.

25. [illegible] [illegible] के द्वारा [illegible] सूचना [illegible]
[illegible]

26. [illegible] किस कार्य [illegible] है। [illegible] सूचना [illegible]

27. [illegible] के द्वारा [illegible] [illegible]

28. [illegible] [illegible] कर सकता है। [illegible]

29. [illegible] [illegible] किसी [illegible] [illegible]

30. [illegible] [illegible]

31. [illegible] [illegible] नहीं [illegible]

32. [illegible] [illegible] नहीं–नहीं करनी चाहिए।

33. किसी [illegible] निर्दोष इंसान [illegible] [illegible] हाईकोर्ट [illegible] पुलिस [illegible] इंसान [illegible]

34. किसी निर्दोष इंसान के ऊपर I.P.C. [illegible] हो तो वो इंसान किन किन एजेंसी से जाँच [illegible] सकता है। एवं जाँच [illegible] किस प्रकार है। सूचना प्रदान करें [illegible]

35. किसी निर्दोष इंसान के ऊपर I.P.C. 379 [illegible] एवं वह निर्दोष इंसान [illegible] पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो तो वह इंसान किस–किस जाँच एजेंसी से जाँच करवा सकता है। बिन्दुवार सूचना प्रदान करें। एवं जाँच करवाने का तरीका किस प्रकार है।

36. किसी इंसान को पुलिस I.P.C. 379 में फर्जी फंसाकर कोर्ट में चालान पेश कर दे एवं वह निर्दोष इंसान ने चालान कोर्ट में पेश होने से पहले ही माननीय राष्ट्रपति महोदय नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन लोकायुक्त महोदय जी से क्राईम ब्रान्च जाँच की माँग की थी फिर भी क्राईम ब्रान्च जाँच नहीं हुई भ्रष्टाचारी पुलिस वालों को पैसे नहीं देने के कारण कोर्ट में चालान पेश कर दिया। तो प्रार्थी को क्या करवाना चाहिए।

37. क्या निर्दोष इंसान को क्राईम ब्रान्च जाँच करवाने का अधिकार नहीं ? सम्पूर्ण सूचना दें।

38. न्यायाधीश A.D.J. द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों, करोड़ों रूपये की सम्पत्ति एकत्रित की जा रही है। इसकी जाँच कौन करेगा।

39. न्यायाधीशों A.D.J. के द्वारा लाखों–करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी जाँच कौन करेगा।

40. राष्ट्रीय एवं राज्यीय ह्यूमन राईट कमिशन के अध्यक्षों के द्वारा अरबों, करोड़ों रूपये रिश्वत लेकर कमाये जा रहे है इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं।

41. राष्ट्रीय एवं राज्यीय ह्यूमन राईट कमिशन के सदस्यगण व कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रूपये कमाये जा रहे है। इसकी जाँच आपने अब तक करवाई की या नहीं। एवं इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की जा सकती है। सम्पूर्ण सूचना देवें।

42. राजस्थान के लोकायुक्त सचिवालय में सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रूपये कमा रहे है। इनके खिलाफ आपने अब तक जाँच के आदेश दिये या नहीं दिये। एवं इनकी शिकायत कहाँ कहाँ की जा सकती है बिन्दुवार सूचना प्रदान करें।

43. एस.डी.एम. कार्यालय गंगापुर सिटी में सभी कर्मचारी भ्रष्ट है जिनमें एस.डी.एम. भी शामिल है इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं एवं इनके खिलाफ कहाँ कहाँ शिकायत की जा सकती है। सूचना प्रदान करें।

44. तहसीलदार जी एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी गंगापुर सिटी के भ्रष्टाचार करके करोड़ों रूपये कमा रहें है। इनकी जाँच कौन करेगा।

45. गंगापुर सिटी पुलिस मुझे डराती है, एवं धमकी देती है कि तुम समाज सेवा करना बंद कर दो। जिससे मुझे काफी परेशानी होती है, इनकी शिकायत मैं कहाँ कहाँ करूं।

46. सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने के लिए आप पैनल से वकील देते है अथवा नहीं।

47. आपके कार्यालय के सबसे बड़े पद पर विराजित को संस्था बुलाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा विवरण दें।

निरन्तर ...3 पर

49. [illegible]

50. [illegible]

51. [illegible]

52. सामाजिक कार्यकर्ता को आप [illegible]

53. आपके कार्यालय [illegible]

53. [illegible]

54. किन किन रूप से D.N.A. [illegible] बिन्दुवार सूचना दें।

55. D.N.A. [illegible]

56. किसी इंसान का [illegible] सूचना बिन्दुवार प्रदान करें।

57. किसी इंसान की [illegible] क्या करना चाहिए। बिन्दुवार सूचना दें।

58. आपके यहाँ पर कितनी समितियाँ है व क्या कार्य करती है उनके नाम किस प्रकार है सूचना दें।

59. आपके यहाँ पर कोई संस्था जनहित, परिवाद किसी और से [illegible] सकता है अथवा नहीं सूचना दें।

60. आपके यहाँ कोई हेल्पलाईन नं० है या नहीं यदि है तो नं० बताईये।

61. आज दिनांक तक कितनी F.I.R. दर्ज कराने के आदेश आपने दिए है परिवाद प्राप्त होने पर

62. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.-C.I.D. जाँच के आदेश दिये है। या दिलवाये है

63. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.I. जाँच के आदेश दिये है या दिलवाये है।

6.4 आज दिनांक तक आपने कितने अधिकारियों को सजा दी या दिलवायी है उनका पद नाम एवं पता बतावें।

65. आज दिनांक तक आपने बड़े से बड़े मंत्री / अधिकारियों को सजा दी है या दिलवायी है उनका पदनाम एवं पता बताईये।

66. आपके कार्यालय का प्रतिमाह कितना खर्चा होता है उस खर्चे को सरकार देता है या देश की गरीब जनता देती है। सम्पूर्ण रूप से विवरण दें।

67. SHOपुलिस DPT पुलिस, एस जिला कलेक्टर तहसीलदार, इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी को नाजायज परेशान करना,अत्याचार करना, मुनमानी करना, रिश्वत लेना, इन दोषों में से अगर एक दोष इन अधिकारियों मे हो और उनका सबूत हो तो इन अधिकारियों के उपर F.I.R. दर्ज कराने का सही तरीका कौनसा है।

68. क्या इन अधिकारियों के उपर न्यायालय ACJM कोर्ट में इस्तगासा पेश कर FIR दर्ज करवाने का अधिकार मौजूद है अथवा नहीं सूचना प्रदान करें।

69. समिति ACB का स्पेशल कोर्ट जिला सवाई माधोपुर मे खुलवाना चाहती है तो समिति को क्या करना चाहिए सूचना प्रदान करें।

70. केन्द्रिय आयोग, कुल कितने है इनके नाम क्या क्या है व कार्य क्या है।

71. केन्द्रिय आयोगों के सभी के पते किस प्रकार है एवं दूरभाष सहित सूचना दें।

72. राजस्थान में कुल आयोग कितने हैं इनके नाम किस प्रकार है।

73. राजस्थान में कुल आयोगों के सभी सही सही पते किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।

74. आपसे, आपके कार्यालय से एक आम आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मदद सहायता ले सकता है। पूर्ण रूप से सूचना प्रदान करें।

75. किसी आदिवासी गरीब, दलित मजदूर को अगर कोई 500/—रूपये का नोट नकली दे देता है और वो गरीब इंसान बैंक में जमा करवाने जाता है बैंक उस 500/—रूपये के नोट की सूचना पुलिस को देती है उस गरीब इंसान के साथ क्या होगा, क्या पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, या उस गरीब को प्रताड़ित करेगी, क्या होगा उस गरीब इंसान के साथ, पूर्ण रूप से सूचना दें।

निरन्तर ...4 पर

76. [illegible] नहीं है [illegible] सिर्फ [illegible] पूर्ण सूचना प्रदान करें।

77. [illegible] पुलिस, C.B.I. [illegible] C.I.D. [illegible] सूचना दें।

78. [illegible] I.B. [illegible] सूचना दें।

79. [illegible] आवेदन [illegible] शिकायत [illegible]

80. [illegible] S.H.O. [illegible] 2 [illegible] अधिकारी [illegible] करें।

81. आपके कार्यालय [illegible] हेल्पलाईन नम्बर [illegible] क्या नम्बर भी हेल्पलाईन में [illegible] है तो बताएं।

82. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में गंगापुर सिटी के ही लोकल कर्मचारी लगा रखे है जो सांठ गांठ करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार करवाते है, [illegible] A.D.J. कोर्ट A.C.J.M. कोर्ट, M.M. कोर्ट, न्यायालय उपजिला कलक्टर, न्यायालय तहसीलदार एवं पुलिस [illegible] गंगापुरसिटी सूचना प्रदान करें कि संविधान की किस धारा अनुच्छेद में सरकारी कार्यालयों में लोकल कर्मचारी लगाने को प्रोत्साहन देता है।

83. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में कई वर्षों से भी अधिक समय से वे कर्मचारी लगे हुए है जो रहने वाले गंगापुर सिटी के है जो भ्रष्टाचार करवाने में अहम भूमिका निभा रहे है इन कर्मचारियों को कब हटाया जायेगा। सम्पूर्ण सूचना देवें।

84. विधिक सहायता समिति से यदि कोई गरीब इंसान वकील लेकर न्यायालय में निजी [illegible] जनहित याचिका, परिवाद कानूनी तरीके से [illegible] चाहता है। [illegible] मार्गदर्शक के तौर पर वकील उपलब्ध करवा सकती है। अथवा नहीं पूर्ण सूचना प्रदान करें।

85. राजस्थान में मंत्रालयों, विभागों आयोगों, न्यायपालिका में उच्च लेवल के सदस्य एवं अधिकारी जो सतर्कता C.I.D.-A.C.B. के [illegible] अलग अलग सतर्कता के अधिकारियों के [illegible] नाम किस प्रकार है उनके मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी फोन नम्बर पता सभी सूचनाएँ [illegible] उपलब्ध करावें।

86. न्यायपालिका में कोई सतर्कता अधिकारी, विभाग होता है तो उक्त अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर पता इत्यादि कि सूचना देवें.

87. राजस्थान में सन् 2000 से आज दिनांक तक पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों, एवं अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर कुल प्रति वर्ष एफआईआर दर्ज हुई है प्रतिवर्ष के हिसाब से सूचना प्रदान करें।

88. राजस्थान में आजादी के बाद से आज दिनांक तक प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को सजा मिल चुकी है सूचना प्रदान करें।

89. भारतीय न्यायाल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भारत द्वारा प्रति [illegible] पर रोक लगा रखी है रिट संख्या सन् वो आदेश की कॉपी चाहिए या जो भी उपलब्ध हो महोदय।

90. आपके कार्यालय एवं आपके पद का वजूद आम जनता की बदौलत है या आपके कार्यालय व आपके पद के कारण आम जनता का वजूद है। सूचना प्रदान करें।

91. राजस्थान में राजाओं दरबार साहबों राज परिवारों के नाम पते नम्बर सहित सूचना प्रदान करें।

92. आपके कार्यालय के कारण कितने गरीब इंसानों को जिन्दगी मिली है, नई जिन्दगी जीने का मौका मिला है कुछ गरीबों पर मेहरबानी की है कितनों की सहायता की है कितनों को न्याय दिलाया है। सूचना प्रदान करें।

93 आपके कार्यालय [illegible] अधिकारियों [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] C.B.-C.I.D. [illegible] को क्या करना चाहिए, पूर्ण सूचना प्रदान करें।

98. जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना [illegible] किस प्रकार के कार्य करता है पूर्ण सूचना प्रदान करें।

99. संस्था " समिति " अगर किसी इनामी डकैत का समर्पण करवाना चाहती है तो संस्था का [illegible] सुविधा सरकार व प्रशासन की ओर से दी जाती है एवं डकैत से समर्पण करवाने का सही पूर्ण तरीका किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।

100. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों का पद नाम बताऐं व सभी का मोबाईल नम्बर बताऐं एवं कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। पूर्ण सूचना प्रदान करें।

101. राजस्थान प्रदेश में कितने ईनामी डकैत है जो आज दिनांक तक सरकार की पकड़ में नहीं आये हैं उनके नाम पते बतायें।

102. थाना गंगापुर सिटी में C.L.G. सदस्य अधिकतम अपराधी है एवं सदस्य हिस्ट्रीशीटर है इसकी जांच कब होगी।

103. संस्था गरीब परिवारों का नाम B.P.L. सूची में दर्ज करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

104. किसी थाने का S.H.O./C.I. ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया हो और उस दिन व दो चार दिन तक न्यायालय कि छुट्टी हो तो वह महिला किस की मदद से डाक्टर मुआयना/डाक्टरी जॉच करवा सकती है। सूचना प्रदान करें।

105. गंगापुर सिटी की जनता को चम्बल परियोजना का पानी कब तक दिया जायेगा जो सन् 2004 से प्रस्तावित है। और धीरे-धीरे कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। सूचना देवें।

106. सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली कई वर्षों तक ध्यान नहीं दे या शिकायत पर अंतिम फैसला नहीं करें तो सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक को क्या करना चाहिए।

107. सरकार व न्यायपालिका अगर गंगापुर सिटी के सभी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते है तो गरीब जनता से टेक्स क्यों लेते हैं। सूचना देवें।

भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10/-रूपये का नम्बर 26F 217047 पर है।

स्थान – गंगापुर सिटी

दिनांक – 18.11.2013

प्रदीप कुमार सोनी

सूचना संविदा

रोजगार सुरक्षा समिति

[illegible]

गंगापुर सिटी स०मा० (राज०)

दैनिक भास्कर

सवाई माधोपुर भास्कर

जयपुर, शनिवार, 2 नवंबर, 2013

[illegible]पुर से सप्लाई होते थे हथियार

नादौती तहसील के गांव [illegible]पुरा में दबिश, घर-दुकान पर मिले कट्टे व कारतूस

भास्कर न्यूज • नादौती

[illegible]

» नादौती. पुलिस ने शुक्रवार को तहसील के गांव [illegible]पुरा में दबिश देकर एक परचून की दुकान व घर से अवैध हथियार बरामद किए। [illegible]

[illegible] आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है।

कपड़ों में आग से युवक झुलसा

मलारना डूंगर तहसील के [illegible] गांव में गुरुवार रात एक युवक आग से झुलस गया। जानकारी के अनुसार [illegible] मीणा के कपड़ों में रात करीब [illegible] बजे आग लग गई। जैसे ही परिजनों को इसका पता लगा तो उन्होंने [illegible] को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर रेफर कर दिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

मौसमी बीमारी व डेंगू की दस्तक से चिकित्सा विभाग हरकत में

83 लोगों के खून की स्लाइडें बनाई

नगर संवाददाता • गंगापुर सिटी

[illegible] में मौसमी बीमारियों व डेंगू की दस्तक की खबर के बाद चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया। चिकित्सा टीम ने शुक्रवार को [illegible] में लोगों के खून की जांच की और नमूने लिए।

चिकित्सालय प्रभारी [illegible] चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने [illegible] व आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया। एल.टी. विष्णु गुप्ता ने बताया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए टीम के सदस्यों ने घरों व नालों में [illegible] का छिड़काव किया साथ ही लोगों के खून की जांच के लिए स्लाइडें लीं। टीम के सदस्यों ने अब तक 83 लोगों के खून की स्लाइडें बनाई। सर्वे में एक भी बुखार का रोगी नहीं मिला।

Reply of Sl. No. 254

RTI MATTER

No.II/20034/20/2014-IS-II(pt.)
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Division (IS-II Desk)

North Block, New Delhi
Dated: the 15 January, 2014

To

Shri Pradeep Kumar Soni,
Gangapur City, FCI Godam Road,
Sainik Nagar, Gangapur City,
Distt.- Sawai Madhopur-322201
Rajasthan.

Subject: Application under Right to Information Act, 2005-reg.

Please refer to your RTI application No.213 dated 18.11.2013 forwarded by Director (SR) & CPIO and received in IS-I Division on 03.01.2014 on the above subject.

2. The information in respect of IS-I Division (IS-II Desk) may be treated as Nil.

3. As regards point No. 100, the designation of Officer/Officials of IS-I Division (IS-II Desk) are as follows:

(i)	Joint Secretary-	1
(ii)	Director-	1
(iii)	Under Secretary-	1
(iv)	Section Officer-	1
(v)	Assistants-	2
(vi)	MTS-	1

The details of Officers/Officials are available at MHA's website.

4. In case you are not satisfied with the above reply, as per Section 19(1) of Right to Information Act, 2005 you may file an appeal within 30 days from the issue of this letter to the first Appellate Authority whose particulars are given below:

Shri Rakesh Singh,
Joint Secretary (IS-I),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi.

(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO

9C

(Page 1 of 2)

Copy to:

1. Shri V.K. Rajan, Deputy Secretary (Estt.) & CPIO, MHA, North Block.

2. Dr.(Smt.) Praveen Kumari Singh, Director (SR) & CPIO, NDCC Building, Jai Singh Road, New Delhi w.r.t. O.M. No.43020/213/RTI/2013-CSR.III dated the 31st December, 2013.

ISSUED

MHA (NB)